कार्यालय–अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
E-mail:nodalofficerddn@gmail.com
Phone/ Fax: 0135-2767611

पत्रांक– 644 /FP/UK/ROAD/43073/2019: देहरादूनःदिनांकः 03 अगस्त, 2022

सेवा में,

सचिव,
वन अनुभाग–3, उत्तराखण्ड,
शासन।

विषयः–जनपद टिहरी गढवाल के विधान सभा क्षेत्र देवप्रयाग के विकास खण्ड कीर्तिनगर के अन्तर्गत पौडीखाल दुण्डरीर शिवालय सम्पर्क मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.566 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन करने के सम्बन्ध में।

सन्दर्भः–अपर सचिव, वन अनुभाग–03, उत्तराखण्ड शासन का पत्रांक 1127/X-3-20/1(128)/2020 दिनांक 12–10–2020।

महोदय,

कृपया वन अनुभाग–3, उत्तराखण्ड शासन के उपर्युक्त विषयक सान्दर्भित पत्र का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिससे प्रश्नगत वन भूमि हस्तान्तरण प्रकरण में कतिपय शर्तो के तहत सैद्धांतिक स्वीकृति निर्गत की गई है। उक्त के क्रम में वन संरक्षक, भागीरथी वृत्त, उत्तराखण्ड, मुनिकीरेती के पत्रांक 283/12–1 दिनांक 08.08.2022 के द्वारा अनुपालन आख्या इस कार्यालय को प्रेषित की गयी है, जिसे निम्न प्रकार संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा हैः–

1. शर्त संख्या–1 के अनुपालन में प्रस्तावक विभाग द्वारा प्रस्तावित मोटर मार्ग के किनारे–किनारे रिक्त पडे स्थानों पर पथ वृक्षारोपण एवं उनके 10 वर्षो तक रख–रखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान वेतन दरों को समाहित करने हेतु यथासंशोधित) मु0 11,60,000.00 जमा की गयी है।
2. शर्त संख्या–2 के अनुपालन में प्रस्तावक विभाग द्वारा 0.566 है0 वन भूमि हेतु 8,45,000.00 प्रति है0 की दर से मु0 4,78,270.00 एन0पी0वी0 की धनराशि जमा की गई है, चालान की प्रति संलग्न है। (संलग्नक–1)
3. शर्त संख्या–3 के अनुपालन एन0पी0वी0 की दरों में बढोत्तरी होने की दशा में बढी हुई दर से अतिरिक्त धनराशि जमा कराये जाने सम्बन्धी प्रमाण–पत्र प्रस्तावक विभाग द्वारा संलग्न किया गया है, तत्सम्बन्धी प्रमाण–पत्र संलग्न है। (संलग्नक–2)
4. शर्त संख्या–4 के अनुपालन में प्रस्तावक विभाग द्वारा उपरोक्तानुसार कुल धनराशि रू0 16,38,270.00 जमा करने की ऑनलाईन चालान की छायाप्रति संलग्न कर प्रेषित की जा रही है। (संलग्नक–3)
5. शर्त संख्या–5 के अनुपालन हेतु प्रस्तावक विभाग द्वारा इस आशय का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत किया गया है कि प्रस्तावित निर्माण कार्य के लिये जनपद कार्यबल की संस्तुतियों एवं भू–वैज्ञानिकों के सुझावों का कडाई से अनुपालन किया जायेगा, तत्सम्बन्धी प्रमाण–पत्र संलग्न है। (संलग्नक–4)
6. शर्त संख्या–6 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन अधिकार अधिनियम–2006 के अन्तर्गत आवश्यक अभिलेख/प्रमाण–पत्र प्रस्तुत किये गये है, तत्सम्बन्धी प्रमाण–पत्र संलग्न है। (संलग्नक–5)
7. शर्त संख्या–7 के अनुपालन में अधिशासी अभियन्ता, अस्थाई खण्ड लो0नि0वि0 श्रीनगर द्वारा इस आशय का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत किया गया है कि प्रस्ताव में निहित किसी भी निर्धारित शर्त का अनुपालन नही करने अथवा असंतोषजनक अनुपालन होने की स्थिति में राज्य सरकार, पर्यावरण एवं वन विभाग को स्वीकृति निरस्त करने का अधिकार होगा, तत्सम्बन्धी प्रमाण–पत्र संलग्न है। (संलग्नक–6)
8. शर्त संख्या–7 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन संरक्षक के माध्यम से सैद्धांतिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या इस कार्यालय को प्रेषित की गयी है, जिसकी प्रति मय संलग्नकों के प्रेषित की जा रही है।

अतः उपरोक्तानुसार वन संरक्षक, भागीरथी वृत्त के द्वारा प्रेषित अनुपालन आख्या के क्रम में वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत यथोचित कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्न–यथोपरि

भवदीय,

(एस0एस0 रसाईली)
अपर प्रमुख वन संरक्षक
एवं नोडल अधिकारी

संख्या 644 / FP/UK/ROAD/43073/2020 दिनांकित।

प्रतिलिपि वन संरक्षक, भागीथी वृत्त, मुनिकीरेती को उनके पत्रांक 283/12–1 दिनांक 08.08.2022 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

02/8/22

(एस0एस0 रसाईली)
अपर प्रमुख वन संरक्षक
एवं नोडल अधिकारी